रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269950
CG-DL-E-07022026-269950

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947
No. 599] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 629(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मेघालय राज्य के ईस्ट खासी हिल्स जिले में New NH 6 के कि.मी. 18.930 से कि.मी. 20.600 और कि.मी. 21.810 से कि.मी.35.250 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप आयुक्त को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने

जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

मेघालय राज्य के ईस्ट खासी हिल्स जिले में New NH 6 के कि.मी. 18.930 से कि.मी. 20.600 और कि.मी. 21.810 से कि.मी. 35.250 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मेघालय			**जिले का नाम: ईस्ट खासी हिल्स**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: मावलाई					
गांव का नाम: मावसीअतख्रम					
1	MSK1	निजी	हॉर्टिकल्चर	0.2566 (हेक्टेयर)	0.2566
2	MSK10	निजी	हॉर्टिकल्चर (कम्यूनिटी)	0.7344 (हेक्टेयर)	0.7344
3	MSK11	निजी	हॉर्टिकल्चर (कम्यूनिटी)	0.5008 (हेक्टेयर)	0.5008
4	MSK12	निजी	एग्रीकल्चर विथ स्ट्रीम (कम्यूनिटी)	0.0211 (हेक्टेयर)	0.0211
5	MSK13	निजी	हॉर्टिकल्चर (कम्यूनिटी)	5.0556 (हेक्टेयर)	5.0556
6	MSK14	निजी	हॉर्टिकल्चर	0.0267 (हेक्टेयर)	0.0267
7	MSK15	निजी	एग्रीकल्चर	0.7084 (हेक्टेयर)	0.7084
8	MSK16	निजी	एग्रीकल्चर	0.0367 (हेक्टेयर)	0.0367
9	MSK17	निजी	एग्रीकल्चर	0.7218 (हेक्टेयर)	0.7218
10	MSK18	निजी	एग्रीकल्चर	0.0178 (हेक्टेयर)	0.0178

11	MSK2	निजी	हॉर्टिकल्चर विथ स्ट्रीम (कम्यूनिटी)	0.0425 (हेक्टेयर)	0.0425
12	MSK3	निजी	हॉर्टिकल्चर (कम्यूनिटी)	0.9107 (हेक्टेयर)	0.9107
13	MSK4	निजी	कच्चा रोड (कम्यूनिटी)	0.029 (हेक्टेयर)	0.029
14	MSK5	निजी	हॉर्टिकल्चर (कम्यूनिटी)	0.7713 (हेक्टेयर)	0.7713
15	MSK6	निजी	हॉर्टिकल्चर विथ स्ट्रीम (कम्यूनिटी)	0.0363 (हेक्टेयर)	0.0363
16	MSK7	निजी	हॉर्टिकल्चर (कम्यूनिटी)	1.7372 (हेक्टेयर)	1.7372
17	MSK8	निजी	हॉर्टिकल्चर विथ स्ट्रीम (कम्यूनिटी)	0.1018 (हेक्टेयर)	0.1018
18	MSK9	निजी	एग्रीकल्चर विथ स्ट्रीम (कम्यूनिटी)	0.029 (हेक्टेयर)	0.029
				Total	**11.7377**

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Khliehriat/2025/LA/New NH-6 Greenfield/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 629(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of New NH 6 in the stretch of land from Km. 18.930 to Km.20.600 and from Km. 21.810 to Km. 35.250 in the district of East Khasi Hills in the state of MEGHALAYA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling New NH 6 in the stretch of land from Km. 18.930 to Km.20.600 and from Km. 21.810 to Km. 35.250 in the district of East Khasi Hills in the state of MEGHALAYA

State: MEGHALAYA			**District: East Khasi Hills**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Mawlai					
Village: Mawsiatkhnam					
1	MSK1	Private	Horticulture	0.2566 (Hectare)	0.2566
2	MSK10	Private	Horticulture (Community)	0.7344 (Hectare)	0.7344
3	MSK11	Private	Horticulture (Community)	0.5008 (Hectare)	0.5008
4	MSK12	Private	Agriculture with stream (Community)	0.0211 (Hectare)	0.0211
5	MSK13	Private	Horticulture (Community)	5.0556 (Hectare)	5.0556
6	MSK14	Private	Horticulture	0.0267 (Hectare)	0.0267
7	MSK15	Private	Agriculture	0.7084 (Hectare)	0.7084
8	MSK16	Private	Agriculture	0.0367 (Hectare)	0.0367
9	MSK17	Private	Agriculture	0.7218 (Hectare)	0.7218
10	MSK18	Private	Agriculture	0.0178 (Hectare)	0.0178
11	MSK2	Private	Horticulture with stream (Community)	0.0425 (Hectare)	0.0425
12	MSK3	Private	Horticulture (Community)	0.9107 (Hectare)	0.9107

13	MSK4	Private	Kaccha Road (Community)	0.029 (Hectare)	0.029
14	MSK5	Private	Horticulture (Community)	0.7713 (Hectare)	0.7713
15	MSK6	Private	Horticulture with stream (Community)	0.0363 (Hectare)	0.0363
16	MSK7	Private	Horticulture (Community)	1.7372 (Hectare)	1.7372
17	MSK8	Private	Horticulture with stream (Community)	0.1018 (Hectare)	0.1018
18	MSK9	Private	Agriculture with stream (Community)	0.029 (Hectare)	0.029
				Total	**11.7377**

[F. No. NHIDCL/PMU-Khliehriat/2025/LA/New NH-6 Greenfield/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.02.07 17:23:20 +05'30'